[28/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 213]

विधानसभा प्रश्न क्र 15 — 213

परिशिष्ट—1

डॉ. इलैयाराजा टी. भा.प्र.से.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश
पिन-482002

दूरभाष : +91 761 2624100 (का.)
: +91 761 2603333 (नि.)
फैक्स : +91 761 2624200 (का.)
Email : dmjabalpur@mp.gov.in
Website : www.jabalpur.nic.in

अर्द्धशासकीय पत्र क्रं. : 1693

जबलपुर दिनांक : 11/07/2022

विषय : — "सेतु बंधन" योजना अंतर्गत शहरी फ्लाय ओव्हर के नवीन प्रस्ताव बाबत्।

Dear Sir,

उपरोक्त विषयांतर्गत, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि (C.R.I.F.) "सेतु बंधन" योजना अंतर्गत राज्य शासन की उक्त योजना अंतर्गत जबलपुर जिले में 02 शहरी फ्लाय ओव्हर के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किये जाने हैं।

जबलपुर जिले के अंतर्गत जबलपुर—मण्डला मार्ग के मध्य पेन्टीनाका चौक पर फ्लाय ओव्हर ब्रिज एवं जबलपुर जिले के अंतर्गत अब्दुल हमीद चौक से सुहागी—महाराजपुर के मध्य आधारताल चौक (बिरसामुण्डा चौक) पर फ्लाय ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दोनों मार्ग शहर के मध्य अतिव्यवस्ततम् मार्ग है, जिस पर यातायात घनत्व अत्यधिक होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित होती रहती है। उक्त दोनों फ्लाय ओव्हर के निर्माण हो जाने से शहर के यातायात घनत्व के कारण शहरी जनता को हो रही कठिनाईयों से राहत मिलेगी। निर्बाध एवं निरंतर यातायात आवागमन जारी रखने हेतु दोनों फ्लाय ओव्हर का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः तत्संबंध में अनुरोध है कि निर्धारित प्रपत्रानुसार भारत सरकार, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि (C.R.I.F.) "सेतु बंधन" योजना अंतर्गत दोनों फ्लाय ओव्हर सम्मिलित किये जाने का कष्ट करें।

Best Wishes

भवदीय

11/7/22

(डॉ इलैयाराजा टी)

श्री नीरज मण्डलोई, I.A.S.
प्रमुख सचिव म.प्र. शासन,
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल